प्रकरण संख्या 21/2018 किशनलाल बनाम लोगर

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
09.03.2021	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 19 सपठित धारा 151 जा.दी. पर उभयपक्षों की बहस सुनी गयी। वकील अपीलान्ट/प्रार्थीगण की ओर से लिखित बहस भी प्रस्तुत की गयी, जो शामिल पत्रावली है। विद्वान वकील अपीलान्ट ने बहस में प्रार्थना पत्र एवं लिखित बहस में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए बताया कि आप न्यायालय में दिनांक 06.11.2018 को पेशी नियत थी, परन्तु प्रार्थी/अपीलान्ट के अधिवक्ता आवश्यक कार्य (रिश्तेदार की मृत्यु) होने पर शहर से बाहर गये हुए थे, जिससे वे आप न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सके एवं न ही प्रार्थी/अपीलान्ट को सूचित कर पाये, जिससे प्रकरण अदम हाजरी/अदम पैरवी में खारिज हो गया, जिसे पुनः नम्बर पर लिया जाकर प्रकरण में मेरिट पर निर्णय किया जावे। उक्त बहस का जवाब देते हुए विपक्षी के विद्वान अभिभाषक ने बताया कि दिनांक 06.11.2018 को प्रार्थीगण एवं उनके अधिवक्ता जानबूझकर न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। उनके अधिवक्ता शहर के बाहर किस काम से कहां गये थे इस बाबत् कुछ कथन नहीं किया है, न ही अपने अधिवक्ता का शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थीगण ने अनुपस्थिति का कोई वास्तविक कारण नहीं बताया है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। हमने उक्त प्रार्थना पत्र उभयपक्ष की बहस सुनी। दिनांक 06.11.2018 को अपीलान्ट व उनके अधिवक्ता को आवाज लगाये जाने के बावजूद उनकी ओर से कोई भी उपस्थिति नहीं होने से प्रार्थी/अपीलान्ट की अपील अदम हाजरी/अदम पैरवी में खारिज कर दी गयी। इस बाबत् प्रार्थी/अपीलान्ट का कथन है कि उनके अधिवक्ता आवश्यक कार्य (रिश्तेदार की मृत्यु) होने पर शहर से बाहर गये हुए थे, जिससे वे आप न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सके एवं न ही प्रार्थी/अपीलान्ट को सूचित कर सके, इस कारण अपील अदम हाजरी/अदम पैरवी	

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L. Chouhan
Date: 2021.03.23 12:36:59 IST
Reason: Self Attested

खारिज हो गयी, जिसे पुनः नम्बर पर ली जावे। लेकिन अपीलान्ट द्वारा इस बाबत् अपने अधिवक्ता का किसी प्रकार का शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे प्रार्थीगण के कथनों की पुष्टि हो सके। तद्नुसार प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज योग्य है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 19 सपठित धारा 151 जा.दी. सारहीन होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 09.03.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एम.एल. चौहान)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.03.23 12:36:59 IST
Reason: SelfAttested